

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी मोहन लाल खटनावलिया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2021

सायल
सरकार जरिये जिला पुलिस
अधीक्षक, नागौर

बनाम

गैर सायल
रामचन्द्र पुत्र श्रवणराम जाति विश्नोई निवासी
रोटू पुलिस थाना जायल जिला नागौर

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

निर्णय

दिनांक 23.11.2021

1-जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने सहायक लोक अभियोजक नागौर के माध्यम से गैर सायल रामचन्द्र पुत्र श्रवणराम जाति विश्नोई निवासी रोटू पुलिस थाना जायल जिला नागौर के विरुद्ध यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश कर अवगत करवाया है कि वाकियात इस्तगासा हाजा इस प्रकार है कि रामचन्द्र पुत्र श्रवणराम जाति विश्नोई निवासी रोटू पुलिस थाना जायल जिला नागौर क्षेत्र का आले दर्जे का जुआरी है। जिसकी आम शोहरत खराब है। गैर सायल जुआ सट्टा के विभिन्न प्रकरणों में दण्डित हो रखा है। गैर सायल जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय है। जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये जाकर कानूनी कार्यवाही की गई है। लेकिन अपराधी की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आयी है। गैर सायल का इलाका हाजा में स्वच्छंद विचरण करना व निवासरत रहना कतेई उचित नहीं है। इसका इलाका हाजा से निष्कासन किया जाना ही एकमात्र विकल्प है। गैर सायल का कृत्य धारा 2(ख) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अंतर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2-सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल की ओर से दिनांक 25.03.2021 को श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब दिनांक 12.11.2021 को प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया गया। प्रकरण में सायल द्वारा अपने इस्तगासे के समर्थन में रोजनामचा दिनांक 20.01.2021 की फोटोप्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल के प्रकरण संख्या 3/2021 के फर्द अहकाम की फोटो प्रति, थानाधिकारी पुलिस थाना जायल के पत्र दिनांक 18.01.2021 की फोटो प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.01.2012 की फोटोप्रति, अंतिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.01.2011 की फोटोप्रति, चार्जशीट नं. 01 दिनांक 24.01.2012 की फोटोप्रति, ग्राम न्यायालय जायल के प्रकरण संख्या 25/12 के निर्णय दिनांक 29.05.2012 की फोटो प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26.02.2012 की फोटोप्रति, अंतिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.02.2012 की फोटो प्रति, चार्ज शीट नं. 19 दिनांक 28.02.2012 की फोटोप्रति, ग्राम न्यायालय जायल के पत्र संख्या

40/12 निर्णय दिनांक 25.07.212 की फोटो प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट 19.02.2018 की फोटो प्रति अस्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.02.2018 की फोटो प्रति, वार्जशीट नम्बर 11 दिनांक 20.02.2018 की फोटो प्रति, ग्राम न्यायालय जायल के प्रकरण संख्या 182/18 निर्णय दिनांक 07.06.2018 की फोटो प्रति पेश की गई।

4-गैर सायल व उसके अधिवक्ता को सुना गया। परिवारी द्वारा अपने इत्तमासे मे कथन किया गया कि रामचन्द्र पुत्र श्रवणराम जाति विशनोई निवासी सेटू पुलिस थाना जायल जिला नागौर का निवासी है। जो जुआ सट्टा की खार्डवाली करते बार-बार दरलापाब किया जाकर न्यायालय में चालान पेश किये गये है। गैर सायल जुआ सट्टे करने का अप्रस्त है तथा वर्ष 2012 से 2018 तक जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरतर सक्रिय रहता आया है। इसका नागौर व आस पास के इलाकों में दर्शहत व आतंक फैलाया हुआ है। उक्त गैर सायल का इलाका हाजा में स्वच्छंद विवरण करना एवं निवासरत रहना उचित नहीं है। गैर सायल रामचन्द्र पुत्र श्रवणराम जाति विशनोई उम्र 46 वर्ष निवासी सेटू पुलिस थाना जायल, जिला नागौर का कृत्य धारा 2(ख) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अपराधी को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया। गैर सायल ने अपने जवाब दिनांक 12.11.2021 में अपना जर्म स्वीकार किया गया तथा आरोपित जर्म की पुनरावृत्ति नहीं करने के लिये आश्चरत भी किया गया।

5-पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज. गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा दी गई है, जिसे निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है-

2 (ख) "गुण्डा" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो :-

1. या तो स्वयं या किसी गैर के सदस्य या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45 के अध्याय 16, अध्याय 17 अध्याय 22 के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 290 से 294 के अधीन दण्डनीय अपराधों का कमीशन अभ्यासतः कारित करता है, या कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है, अथवा
2. महिलाओं और लड़कियां के अनैतिक व्यवसाय का उन्मूलन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 104) के अधीन दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्यांक -11) के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
4. अफीम अधिनियम 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
5. राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्यांक 48) के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
6. महिलाओं या लड़कियां को अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या छेड़ता हुआ पाया गया हो; अथवा
7. हिसात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा विधि पालक लोगों को अभिन्नासित करने का अपराधी पाया गया हो; अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अपराधी हो या बलपूर्वक चन्दे का संग्रहण करने का या जो अन्य या अन्य के अवैध

आर्थिक फायदे के लिए लोगों को धमकी देने का अभ्यासी दो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति का संत्रास, खतरा या नुकसान करने का अभ्यासी हो।

6-पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन से मैं पूर्ण सन्तुष्ट हूँ कि गैर सायल आदतन जुआरी प्रतीत होता है। जो धारा 2(ख) के अनुसार 3 बार दोष सिद्ध किया जा चुका है तथा अपने अवैध आर्थिक फायदे के लिए अन्य व्यक्तियों एवं लोगों की सम्पत्ति को सत्रांश, खतरा या नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से अभ्यासित अपराधी होने से राज. गुण्डा अधिनियम की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैर सायल के उक्त कर्त्यों से करखा नागौर व आस-पास के क्षेत्र में दहशत व आतंक फैला हुआ है। अतः गैर सायल का जिला नागौर में स्वच्छन्द विचरण करना व निवासरत रहना कतेई उचित नहीं होने से इसका इलाका हाजा से निष्कासन किया जाना ही उचित है।

आदेश

रामचन्द्र पुत्र श्रवणराम जाति विश्‍नोई उम्र 46 वर्ष निवासी सेटू पुलिस थाना जायल जिला नागौर का कृत्य धारा 2(ख) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से एक माह पन्द्रह दिवस तक निष्कासन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं जिला चुरू के सुजानगढ थाने में अपनी गतिविधियों को दर्ज करवाएं तथा सूचना इस न्यायालय को दें। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक नागौर/चुरू को भिजवाई जावे।

7-निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



(मोहन लाल खटनावालिया)

अति जिला मजिस्ट्रेट नागौर
नागौर (राजस्थान)